(22)

छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु0जाति विकास विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

दिनांक 02/04/2007

क्रमांक/476/25--2/आजावि/2007 :: आदिवसियों की सेवा एवं उनके आर्थिक उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली किसी एक स्वैच्छिक संस्था को प्रति वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य महोत्सव के दौरान आयोजित अलंकरण समारोह में स्व0 डॉ0 भँवर सिंह पोर्ते की स्मृति में विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24 मार्च. 2007 द्वारा स्थापित पुरस्कार हेतु राज्य शासन एतद द्वारा निम्नानुसार डॉ0 भँवर सिंह पोर्ते, आदिवासी सेवा सम्मान नियम 2007 बनाता है।

डॉ0 भँवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान नियम 2007

प्रस्तावना –

छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों की सेवा करने और उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली किसी एक संस्था को सम्मानित कर प्रोत्साहित करने के लिए डॉ0 भँवर सिंह पोर्ते की स्मृति में प्रादेशिक स्तर का सम्मान स्थापित करते हुए उसके विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाये जाते हैं.

1. **संक्षिप्त नाम –**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डॉ0 भँवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान नियम 2007 है.

(2) ये नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा प्रकाशन दिनांक से प्रभावशाली होंगें.

2. **परिभाषा –**

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

(अ) संस्था से अभिप्रेत एक संस्था से है.

(ब) निर्णायक मंडल से अभिप्रेत इन नियमों के नियम–4 के अन्तर्गत गठन किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से है.

3. **सम्मान का स्वरूप –**

आदिवासियों की सेवा करने तथा उनके उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य का इतिहास रचने वाली एक संस्था को डॉ0 भँवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान पुरस्कार राशि रूपये 1,00,000 (रूपये एक लाख मात्र) एक संस्था को नगद तथा प्रतीक चिन्ह से युक्त पट्टिका प्रशस्ति के रूप में दी जायेगी. यह सम्मान क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली एक संस्था को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर दिया जायेगा. प्रशस्ति पत्र अलग से दिया जावेगा.

4. **निर्णायक मंडल का गठन --**

राज्य शासन सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य के जानकार व्यक्तियों का एक निर्णायक मंडल (जूरी) जो सामान्यतः पांच सदस्यीय होगा, का गठन करेगा.

5. **निर्णायक मंडल की शक्तियां --**

(1) निर्णायक मंडल द्वारा किया गया चयन अंतिम एवं शासन के लिए बंधन कारी होगा.

(2) सम्मान के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी.

(3) संबंधित सम्मान वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्व विवेक से ऐसी संस्थाओं के नाम पर विचार कर सकेगा जिन्हें वे सम्मान के उद्देश्यों के अनुरूप मानते हों.

(4) प्रत्येक वर्ष के सम्मान के लिए एक संस्था का चयन होगा.

(5) निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार--विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा.

(6) निर्णायक मंडल के माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया के लिए आमंत्रित किये जाने पर उन्हे राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड--ए के समकक्ष श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा.

6. **चयन की प्रक्रिया --**

सम्मान के लिए उपयुक्त संस्था के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी.

(1) जिस वर्ष के लिए सम्मान प्रदान किया जाना है उस वर्ष के लिए प्रविष्टयां आमंत्रित करने हेतु आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा प्रमुख समाचार पत्रों में राज्य शासन की ओर से जनसंपर्क संचालनालय के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाकर विषय विशेषज्ञों से भी नियमानुसार प्रविष्टियां आमंत्रित की जावेगी. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टि विचार के लिए मान्य नहीं की जावेगी. विज्ञप्ति जारी करने के समय यदि में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तन कर सकेगा.

(2) प्रविष्टि आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास को प्रस्तुत की जावेगी. प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाए.

(क) संस्था का पूर्ण परिचय

(ख) आदिवासियों की सेवा करने तथा उनके उत्थान के लिए संस्था द्वारा किये गये कार्यों की सप्रमाण विस्तृत जानकारी.

(ग) यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो तो उसका विवरण.

(घ) सामाजिक आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य तथा इनके सैद्धान्तिक पक्ष के विषय में प्रकाशित साहित्य की फोटो प्रति (सत्यापित)

(च) आदिवासियों की सेवा करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र/पत्रिकाओं/ग्रंथ के माध्यम से उपलब्ध साहित्य.

(छ) संस्था के निरंतर एवं निर्विवाद होने के बारे में जिलाध्यक्ष का ताजा प्रमाण पत्र.

(ज) चयन होने की दशा में सम्मान ग्रहण करने के बारे में संस्था की सहमति.

(झ) जूरी अथवा उसके किसी सदस्य अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा संस्था के कार्यों के प्रत्यक्ष आंकलन के संबंध में सहमति.

(3) (अ) चयन के लिए नियमों में निर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होंगी.

(ब) एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय: यह नहीं होगा कि संबंधित संस्था का कार्य दोबारा पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं है.

(4) प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(5) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा. इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जावेगा.

(6) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों की प्राप्ति के 15 दिन के भीतर संबंधित सम्मान वर्ष पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियां को पंजीकृत किया जावेगा.

क्रमांक	*सम्मानित संस्था का नाम व पता*	*प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का नाम/पता तथा संस्था में पदेन स्थिति*	*प्राप्त कुल पृष्ठों की संख्या*	*अन्य विवरण*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(7) पंजीयन के पश्चात् आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्ट के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार करवायी जावेगी. जिसमें निम्नलिखित जानकारियों का समावेश होगा –

1. संस्था का नाम एवं पता
2. प्रस्तावक
3. पुरस्कार विषयक की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा
4. प्राप्त पुरस्कार / सम्मान
5. प्रमाण / टिप्पणियां / आलेख / प्रकाशन
6. पुरस्कार ग्रहण करने बाबत सहमति है / नहीं है
7. आदिवासियों की सेवा करने तथा उनके उत्थान हेतु किये गये कार्य की विस्तृत उपलब्धियां
8. संस्था के निरंतर एवं निर्विवाद होने का प्रमाण पत्र

7. चयन का मापदण्ड –

सम्मान के लिए छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की सेवा करने तथा उनके उत्थान हेतु सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था के चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड रहेंगे.

(1) सम्मान के लिए निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा छत्तीसगढ़ में आदिवासियों की सेवा करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में दीर्घ कार्य में संलग्न प्रदेश की ऐसी स्वैच्छिक संस्था का चयन किया जावेगा जिसका पिछला कार्य उत्कृष्ट रहा हो. और जो वर्तमान में भी इस क्षेत्र में निरंतर सक्रिय है.

(2) ऐसी संस्था की प्रविष्टि पर विचार नहीं होगा. जिसका कोई पदाधिकारी उस वर्ष के सम्मान की जूरी का सदस्य हो.

(3) आदिवासियों की सेवा करने एवं उनके उत्थान के लिए पूर्व में अन्य पुरस्कार प्राप्त संस्था भी इस सम्मान के लिए पात्र होगी बशर्ते की ऐसी संस्था समस्त अर्हताओं की पूर्ति करती हो.

(4) छत्तीसगढ़ शासन से सहायक अनुदान प्राप्त करने वाली संस्था भी पात्र होगी, किन्तु सहायक अनुदान के दुरूपयोग की दोषी संस्था पात्र नहीं होगी.

(5) सम्मान के लिए संस्था के भूतकालिक एवं वर्तमान दोनो प्रकार के कार्य का आकलन होगा.

(6) संस्था को इस बात का प्रमाण प्रस्तुत होने पर कि उसने आदिवासियों की सेवा करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में दीर्घकालीन कार्य किया है और वह अब भी इस दिशा में सक्रिय है अर्थात् सम्मान केवल भूतकालिक कार्य के आधार पर नहीं मिलेगा. उसके लिए कार्य की परिणाम मूलक निरंतरता आवश्यक है.

(7) संस्था के योगदान का संबंधित कार्यक्षेत्र एवं आदिवासियों के जीवन में व्यापक प्रभाव परिलक्षित होना चाहिए.

(8) परंपरागत तौर पर तरीकों से अलग हटकर नवाचार अर्थात् नई पद्धति नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सधनता में अपनाया गया है.

(9) जूरी अथवा उसके द्वारा किसी अधिकृत सदस्य अथवा व्यक्ति द्वारा संस्था की समस्त गतिविधियों का प्रत्यक्ष आंकलन करने हेतु संस्था को लिखित सहमति देनी होगी.

(10) सर्वथा निर्विवाद एवं समुचित प्रमाणों से परिपुष्ट उत्थान कार्य पर ही जूरी विचार करेगा. संस्था होने के बारे में जिलाध्यक्ष का नवीन प्रमाण–पत्र पर्याप्त माना जावेगा.

8. सम्मान की घोषणा –

निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा जिस संस्था का चयन होगा उससे सम्मान ग्रहण करने के बारे में राज्य शासन द्वारा औपचारिक सहमति प्राप्त होने के पश्चात् निर्णायक मंडल (जूरी)अपना निर्णय गोपनीय रूप से राज्य शासन को प्रस्तुत करेगा. तथा राज्य शासन द्वारा सम्मान के लिए चयनित संस्था की औपचारिक घोषणा की जावेगी.

9. अलंकरण समारोह –

सम्मान का अलंकरण समारोह राज्य शासन द्वारा आयोजित होगा जिसमें भाग लेने के लिए चयनित संस्था को आमंत्रित किया जावेगा. विशेष परिस्थितियों में पुरस्कृत संस्था अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक भी साथ में ला सकेंगें जिसको उन्ही के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी. सम्मान प्राप्त व्यक्ति को शासन के वरिष्ट स्तर अधिकारी ग्रेड – ए के समकक्ष यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी.

10. व्यय की संपूर्ति –

सम्मान एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जायेगी.

11. नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन –

राज्य शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग को पुरस्कार नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अन्तर्निहित प्रावधान के संबंध में सचिव आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी. ऐसे मामले जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है को निराकरण के अधिकार भी सचिव छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग में निहित होंगे

12. **अन्य दायित्वों का निर्वहन –**

प्राप्त प्रविष्टियों एवं चयनित संस्था का रिकार्ड अलग–अलग जिल्द में आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा संधारित किया जावेगा. चयनित संस्था के आदिवासियों की सेवा करने तथा उनके उत्थान हेतु किये गये कार्यों के संबंध में समारोह के समय एक सचित्र स्मारिका जारी की जावेगी. जिसमें पुरस्कार के उद्देश्य, स्वरूप, सम्मान प्राप्ति का विवरण आदि का समावेश होगा.

2.4.07
(ए0 मिंज)
अतिरिक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आ0जा0तथा अनु0जा0वि0वि0

पृ0 क्रमांक / 476 / 25–2 / आजावि / 2007 रायपुर, दिनांक 02/04/2007

प्रतिलिपि :–

1– माननीय मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर.
2– निज सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, आ0जा0तथा अनु0जा0वि0वि0 मंत्रालय, रायपुर.
3– मुख्य सचिव, के स्टाफ आफिसर छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर को उनके यू.ओ.नं. 569 / सीएस / 07 दिनांक 8.2.07 / 14.2.07 / 28.2.07 के संदर्भ में सूचनार्थ.
4– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
5– छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मत्रालय, रायपुर.
6– सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
7– आयुक्त, जन संपर्क, छत्तीसगढ़ रायपुर.
8– आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़, रायपुर.
9– नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनॉदगॉव को इस अधिसूचना एवं नियमावली के राजपत्र में प्रकाशनार्थ.
10– आर्डर बुक.

2/4/07
अतिरिक्त सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आ0जा0तथा अनु0जा0वि0वि0

छत्तीसगढ़ शासन,
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

-// अधिसूचना//-

रायपुर, दिनांक 18 अगस्त, 2009

क्रमांक/ 6031 /2090/2008/25-2/आजावि : राज्य शासन, एतद् द्वारा, स्व. डॉ.भँवर सिंह पोर्ते स्मृति सम्मान की पुरस्कार राशि के संबंध में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अतिष्ठित करते हुए भूतलक्षीय प्रभाव से (वर्ष 2007 स) छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली किसी एक संस्था को स्व. डॉ.भँवर सिंह पोर्ते स्मृति सम्मान की पुरस्कार राशि के रूप में रुपए 2.00 लाख (रुपए दो लाख मात्र) दिए जाने हेतु आदेशित करता है.

2- यह स्वीकृति वित्त विभाग के यु.ओ.नं 237/23036/बी-3 दिनांक 1-8-2009 के अनुक्रम में जारी की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

18/8/09

(डॉ.अनिल चौधरी)
उप सचिव

पृ.क्रमांक/क्रमांक/ 6032 /2090/2008/25-2/आजावि रायपुर, दिनांक 18 अगस्त, 2009

प्रतिलिपि,

1. माननीय मुख्य मंत्री के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, रायपुर
2. निज सहायक, माननीय मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन,आ.जा.तथा अनु.जा.वि.विभाग, मंत्रालय,रायपुर
3. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय,रायपुर
4. सचिव,छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
5. सचिव,छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
6. सचिव,छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
7. आयुक्त, जन संपर्क, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. आयुक्त, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग,छत्तीसगढ़, रायपुर.
9. नियंत्रक शासकीय मुद्रणालय, राजनाँदगाँव को इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशनार्थ
10. आर्डर बुक

उप सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा.तथा अनु.जा.विकास विभाग